

PRASAR BHARATI
BROADCASTING CORPORATION OF INDIA
DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

No. B-12017/19/2009-WL

New Delhi, dated 25.08.2009

Sh. Vinod Kumar,
109-L, Aram Bagh,
Pahar Ganj,
New Delhi-110055

Subject:- Information under RTI Act, 2005.

Sir,

Reference your letter dt.13.7.2009, on the subject mentioned

above.

The information are as follows:-

1. AIR Technical Employees Association is recognized as per AIR Manual(copy of manual is enclosed).
2. As per record available, ADTEA was registered in 1963-64 under societies Registration Act having registration No.2298.
3. Yes, it is now known as AIR & DDN Technical Employees Association (ADTEA).

2. Details of 1st appellate authority,
Mr. Madhub Ghai
Director (Admn)


(S. S. DALAL)
DY. DIRECTOR OF ADMN (WL)
FOR DIRECTOR GENERAL

Copy to:-

1. Scor Section with reference to their letter No. A-11019/36(442)/2009-Scor, dt. 20.8.2009.
2. Sh. S.P. Sharma, 45, BA(P). Ministry of I & B w.r.t. letter No. 45015/1/2009-BA(P) dt. 24.7.2009
3. Sh. George Kuruvilla, Director (Tech.) Prasar Bharati Sectt. wrt. Letter No. PB/PIO/General/2009/1643 dt. 17.8.2009.

5. आकाशवाणी के सभी केन्द्रों/कार्यालयों के प्रभुत्वों को सलाह दी जाती है कि तत्काल ऐसी बैठकें करना प्रारम्भ करें। ऐसी सभी बैठकों के कार्यवृत्त की एक प्रति मान्यताप्राप्त संघों/एसोसिएशनों के स्थानीय एककों के, प्रतिनिधि, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के अतिरिक्त इस निदेशालय में विशेष कार्य अधिकारी (कार्मिक) को भेजी जानी चाहिए।
6. आकाशवाणी में निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संघ/एसोसिएशन हैं :-
- (1) आकाशवाणी कार्यक्रम कर्मचारी एसोसिएशन,
 - (2) आकाशवाणी अभियंता एसोसिएशन,
 - (3) आकाशवाणी अभियांत्रिक कर्मचारी एसोसिएशन,
 - ✓(4) आकाशवाणी तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन,
 - (5) आकाशवाणी सिविल निर्माण स्कन्ध कर्मचारी संघ,
 - (6) आकाशवाणी प्रशासनिक कर्मचारी एसोसिएशन,
 - (7) आकाशवाणी आशुलिपिक एसोसिएशन,
 - (8) आकाशवाणी मोटर ड्राइवर एसोसिएशन,
 - (9) आकाशवाणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एसोसिएशन,
7. अन्वयों के अतिरिक्त निम्नलिखित पदेन अधिकारी बैठक में उपस्थित होंगे :-
- (क) वरिष्ठतम इंजीनियरिंग अधिकारी, यदि केन्द्र/कार्यालय प्रमुख एक कार्यक्रम अधिकारी है,
 - (ख) वरिष्ठतम कार्यक्रम अधिकारी, यदि केन्द्र/कार्यालय प्रमुख एक इंजीनियर है।
 - (ग) वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी अर्थात् उपनिदेशक प्रशासन/वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य लिपिक, जैसी भी स्थिति हो।
8. उपरोक्त वर्णित अधिकारी, जिनके बैठक में उपस्थित होना आवश्यक है, इनमें केन्द्र/कार्यालय प्रमुख, जोकि अध्यक्ष होगा, और मान्यता प्राप्त संघों, एसोसिएशनों के प्रतिनिधि मिलकर, स्थानीय औपचारिक कर्मचारी परामर्शदात्री समिति का निर्माण करते हैं और बैठकों के कार्यवृत्तों का, उनका इस प्रकार से ही उल्लेख किया जाए।
- (प्राधिकार : आकाशवाणी महानिदेशालय ज्ञापन सं. बी-12017/50/80-डब्ल्यू ई. दिनांक 30-8-80)
- यह स्पष्ट किया जाता है ज्ञापन सं० बी-12017/50/80-डब्ल्यू.एल. (ए) दिनांक 30-8-80 के पैरा-6 में वर्णित मान्यताप्राप्त संघ/एसोसिएशन केवल एक ही प्रतिनिधि को नाम निर्देशित करने के हकदार हैं।
- (प्राधिकार : आकाशवाणी महानिदेशालय ज्ञापन सं. बी-12017/50/80-डब्ल्यू ई. दिनांक 25-9-80)
- आकाशवाणी कर्मचारी कलाकारों के राष्ट्रीय संघ की महानिदेशक, आकाशवाणी के साथ एक औपचारिक बैठक में यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रों/कार्यालयों के प्रमुख कर्मचारी कलाकारों के दो राष्ट्रीय संघों यथा आकाशवाणी कर्मचारी राष्ट्रीय कलाकार संघ और आकाशवाणी कर्मचारी कलाकार संघ के प्रतिनिधियों के साथ सार्वधिक रूप से बैठकें करते रहेंगे। दोनों ही संघ गैर-मान्यताप्राप्त हैं। आकाशवाणी के केन्द्रों/कार्यालयों के प्रमुखों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त वर्णित दो संघों के प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक बैठकें करते रहें। कार्यवृत्त तैयार किया जाए परन्तु कार्यवृत्तों की प्रति संघों के प्रतिनिधियों को न भेजी जाए/कार्यवृत्तों पर कार्यवाही की जाए/यदि आवश्यक हो तो, निदेशालय के संबंधित अनुभाग को कार्यवृत्तों से उद्गम सहित स्वतः पूर्ण टिप्पणी भेजी जाए और कार्यवृत्तों पर की गई कार्यवाही के बारे में संघों के प्रतिनिधियों को अनौपचारिक रूप से सूचित किया जाए।
- (प्राधिकार : आकाशवाणी महानिदेशालय ज्ञापन सं. बी-12017/71/80-डब्ल्यू ई. दिनांक 31-8-81)